



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2024 / 547

दर्ज तिथि:-23.12.2024

1. रूपा पुत्र देराज
जाति मेघवाल निवासी मोडाणियों की ढाणी, आडेल तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।
2. गिरधारी लाल पुत्र जैसाराम
जाति मेघवाल निवासी हाजोनियों की ढाणी तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. अगरीदेवी पत्नी केवलाराम
2. केकूदेवी पत्नी जीयाराम
3. कंचनदेवी पत्नी हीरालाल जोगल
4. कमला पुत्री केवलाराम
5. गुलाबचंद पुत्र भेराराम
6. जेठाराम पुत्र भेराराम
7. दिलीप पुत्र केवलाराम
8. पूजा जोगल पुत्र हीरालाल जोगल
9. मथरीदेवी पत्नी गुलाबचंद
10. मनीष जोगल पुत्र हीरालाल जोगल
11. मीरा पुत्री केवलाराम
12. मीरोदेवी पत्नी मूलाराम
13. रमेश पुत्र पूनमाराम
जाति मेघवाल निवासी मिठीया तला बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बालोतरा।
14. रामाराम पुत्र मूलाराम
15. विशनाराम पुत्र भेराराम
16. सुआ पुत्री केवलाराम
17. संगीता पुत्री केवलाराम
18. संतोष पुत्री केवलाराम
जाति मेघवाल साकिन मोडाणियों की ढाणी, आडेल तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।
जाति मेघवाल निवासी ढूँढा, कवास तहसील व जिला बाड़मेर।
19. सरपंच ग्राम पंचायत आडेल तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

20. तहसीलदार नौखड़ा जिला बाड़मेर।

.....तकमीली प्रतिवादीगण



उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री ठाकराराम

प्रतिवादीगण:- श्री पूनमाराम विशनोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-16.06.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 187/17.1832 है0 मौजा मोडाणियों की ढाणी तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

सत्यमेव जयते

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 05 एवं 09 बाद विधिवत तामिल उपस्थित न्यायालय हुए। शेष प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 05 एवं 09 द्वारा जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश कर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त खेतों का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करने पर सहमति प्रदान की। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा दौरान-ए-बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10.03.2025 को जारी की जाकर तहसीलदार नौखड़ा से कुर्रजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नौखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/463 दिनांक 09.06.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में मौका कुर्रजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 05 व 09 के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 05 एवं 09 द्वारा

मुताबिक हक हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करने हेतु प्रतिदावा प्रस्तुत किया था। इसी अनुसार न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की थी। परंतु तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव में प्रतिवादी संख्या 05 एवं 09 का हिस्सा पृथक नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादी संख्या 05 एवं 09 का कब्जा काश्त अनुसार संलग्न नजरी नक्शा अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 05 एवं 09 के द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शा अनुसार विभाजन किये जाने पर वकील वादी द्वारा सहमति प्रदान की गई। उक्त कुर्रजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 05 एवं 09 द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/463 दिनांक 09.06.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.	प्रकरण में दिनांक 24.04.2025 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस पत्रांक/2024/1043-1063 दिनांक 07.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 24.04.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस पत्रांक/2024/1043-1063 दिनांक 07.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 24.04.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2076-2079 तथा कुर्रजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 187/17.1832 है0 मौजा मोडाणियों की ढाणी तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त

आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 05 गुलाबचन्द पुत्र भैराराम एवं प्रतिवादी संख्या 09 मथरीदेवी पत्नी गुलाबचन्द द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादी संख्या 05 एवं 09 का भी संलग्न नजरी नक्शा अनुसार विभाजन किया जावे। इस पर वकील वादी द्वारा सहमति प्रदान की गई है। अतः वकील वादी की सहमति के अनुसार प्रतिवादी संख्या 05 एवं 09 का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस एवं पक्षकारान सहमति के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

1. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

188. Injunction against wrongful ejectment—

- (1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.
- (2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-
- (a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;
 - (b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;
 - (c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.
 - (d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

2. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।

2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

4. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक-पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफ्त में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 187/17.1832 है0 मौजा मोडाणियों की ढाणी तहसील नौखड़ा तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नौखड़ा को दिये जाते हैं।

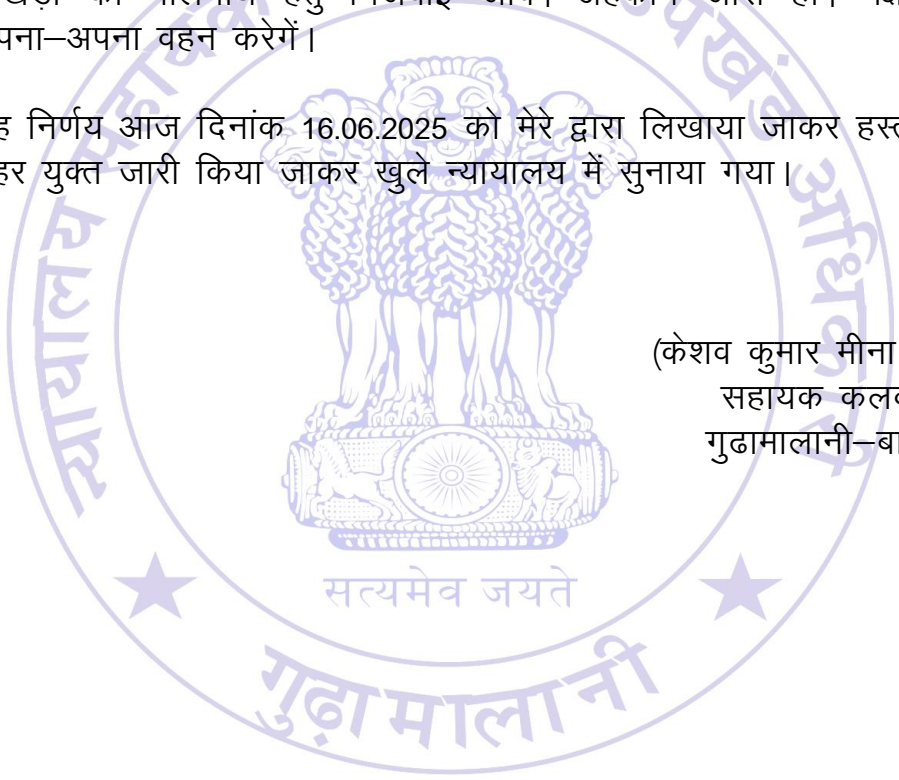
खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
रामाराम पुत्र मूलाराम हि० 1/2 मीरोदवी पत्नी मूलाराम हि० 1/2 जाति मेगवाल सा० देह खातेदार	मोडोणियों की ढाणी	187	2.1378	बा०सो०
कुल किता 01 रकबा 2.1378 है०				
रमेश पुत्र पूनमाराम हि० पूर्ण जाति मेगवाल सा० मीठिया तला बायतू पनजी खातेदार	मोडोणियों की ढाणी	187	2.1378	बा०सो०
कुल किता 01 रकबा 2.1378 है०				
ग्राम पंचायत आडेल	मोडोणियों की ढाणी	187	0.0728	बा०सो०
कुल किता 01 रकबा 0.0728 है०				
गिरधारीलाल पुत्र जैसाराम हि० 4/13 जाति मेगवाल सा० हाजोणियों की ढाणी	मोडोणियों की ढाणी	187	2.0900	बा०सो०
रूपा पुत्र देराज हि० 9/13 जाति मेगवाल सा० देह खातेदार	मोडोणियों की ढाणी	187	2.1127	बा०सो०
कुल किता 02 रकबा 4.2027 है०				
अगरीदेवी पत्नी केवलाराम केकूदेवी पत्नी जीयाराम कंचनदेवी पत्नी हीरालाल कमलादेवी पत्नी केवलाराम जेठाराम पुत्र भैराराम दिलीप पुत्र केवलाराम पूजा जोगल पुत्री हीरालाल मनीषा जोगल पुत्री हीरालाल मीरा पुत्री केवलाराम विशनाराम पुत्र भैराराम सुआ पुत्री केवलाराम संगीता पुत्री केवलाराम सन्तोष पुत्री केवलाराम हिस्सा मुताबिक संशोधित राजस्व इन्द्राज जाति मेगवाल सा० देह खातेदार	मोडोणियों की ढाणी	187 187	1.3300 4.7042	बा०सो० बा०सो०
कुल किता 02 रकबा 6.0342 है०				
गुलाबचन्द पुत्र भैराराम पूर्ण रहन आरएमजीबी शाखा होडू	मोडोणियों की ढाणी	187	1.7102	बा०सो०
कुल किता 01 रकबा 1.7102 है०				
मथरीदेवी पत्नी गुलाबचंद पूर्ण जाति मेघवाल सा० देह खातेदार	मोडोणियों की ढाणी	187	0.8067	बा०सो०
कुल किता 01 रकबा 0.8067 है०				

रामाराम पुत्र मूलाराम हि0 1/2 गुलाबचंद पुत्र भैराराम हि0 1/2 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	मोडोणियों की ढाणी	187	0.0810	रास्ता प्रयोजनार्थ
कुल किता 01 रकबा 0.0810 है0 रास्ता प्रयोजनार्थ				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात एवं प्रतिवादी संख्या 05 एवं 09 द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2024 / 547

दर्ज तिथि:-23.12.2024

1. रूपा पुत्र देराज
जाति मेघवाल निवासी मोडाणियों की ढाणी, आडेल तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।
2. गिरधारी लाल पुत्र जैसाराम
जाति मेघवाल निवासी हाजोनियों की ढाणी तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. अगरीदेवी पत्नी केवलाराम
2. केकूदेवी पत्नी जीयाराम
3. कंचनदेवी पत्नी हीरालाल जोगल
4. कमला पुत्री केवलाराम
5. गुलाबचंद पुत्र भेराराम
6. जेठाराम पुत्र भेराराम
7. दिलीप पुत्र केवलाराम
8. पूजा जोगल पुत्र हीरालाल जोगल
9. मथरीदेवी पत्नी गुलाबचंद
10. मनीष जोगल पुत्र हीरालाल जोगल
11. मीरा पुत्री केवलाराम
12. मीरोदेवी पत्नी मूलाराम
13. रमेश पुत्र पूनमाराम
जाति मेघवाल निवासी मिठीया तला बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बालोतरा।
14. रामाराम पुत्र मूलाराम
15. विशनाराम पुत्र भेराराम
16. सुआ पुत्री केवलाराम
17. संगीता पुत्री केवलाराम
18. संतोष पुत्री केवलाराम
जाति मेघवाल साकिन मोडाणियों की ढाणी, आडेल तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।
जाति मेघवाल निवासी ढूँढा, कवास तहसील व जिला बाड़मेर।
19. सरपंच ग्राम पंचायत आडेल तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

20. तहसीलदार नौखड़ा जिला बाड़मेर।

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:- श्री ठाकराराम
प्रतिवादीगण:- श्री पूनमाराम विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 187/17.1832 है0 मौजा मोडाणियों की ढाणी तहसील नौखड़ा तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नौखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
रामाराम पुत्र मूलाराम हि0 1/2 मीरोदवी पत्नी मूलाराम हि0 1/2 जाति मेगवाल सा0 देह खातेदार	मोडोणियों की ढाणी	187	2.1378	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 2.1378 है0				
रमेश पुत्र पूनमाराम हि0 पूर्ण जाति मेगवाल सा0 मीठिया तला बायतू पनजी खातेदार	मोडोणियों की ढाणी	187	2.1378	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 2.1378 है0				
ग्राम पंचायत आडेल	मोडोणियों की ढाणी	187	0.0728	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.0728 है0				
गिरधारीलाल पुत्र जैसाराम हि0 4/13 जाति मेगवाल सा0 हाजोणियों की ढाणी	मोडोणियों की ढाणी	187	2.0900	बा0सो0
रूपा पुत्र देराज हि0 9/13 जाति मेगवाल सा0 देह खातेदार	मोडोणियों की ढाणी	187	2.1127	बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 4.2027 है0				
अगरीदेवी पत्नी केवलाराम केकूदेवी पत्नी जीयाराम कंचनदेवी पत्नी हीरालाल कमलादेवी पत्नी केवलाराम जेठाराम पुत्र भैराराम दिलीप पुत्र केवलाराम पूजा जोगल पुत्री हीरालाल	मोडोणियों की ढाणी	187 187	1.3300 4.7042	बा0सो0 बा0सो0

मनीषा जोगल पुत्री हीरालाल मीरा पुत्री केवलाराम विशनाराम पुत्र भैराराम सुआ पुत्री केवलाराम संगीता पुत्री केवलाराम सन्तोष पुत्री केवलाराम हिस्सा मुताबिक संशोधित राजस्व इन्द्राज जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार				
कुल किता 02 रकबा 6.0342 है0				
गुलाबचन्द पुत्र भैराराम पूर्ण रहन आरएमजीबी शाखा होडू	मोडोणियों की ढाणी	187	1.7102	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.7102 है0				
मथरीदेवी पत्नी गुलाबचंद पूर्ण जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	मोडोणियों की ढाणी	187	0.8067	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.8067 है0				
रामाराम पुत्र मूलाराम हि0 1/2 गुलाबचंद पुत्र भैराराम हि0 1/2 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	मोडोणियों की ढाणी	187	0.0810	रास्ता प्रयोजनार्थ
कुल किता 01 रकबा 0.0810 है0 रास्ता प्रयोजनार्थ				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात एवं प्रतिवादी संख्या 02 एवं 06 द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर